भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4854

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व योगदान

4854. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों में 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'स्वच्छ गंगा मिशन' के लिए कंपनियों की ओर से योगदान/दान दिए जाने की अनुमति देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कंपनियों द्वारा कितना योगदान/दान दिया गया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): 'स्वच्छ भारत कोष' और 'निर्मल गंगा कोष' में योगदान को दिनांक 24 अक्तूबर, 2014 से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों के रूप में शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए क्रमश: 7334 और 5097 कंपनियों के विश्लेषण के अनुसार, किए गए योगदान के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)			
क्र.सं.	अधिनियम की अनुसूची-VII के तहत मद	2014-15	2015-16
1.	स्वच्छ भारत कोष	121	355
2.	निर्मल गंगा कोष	19	3

*****